30/12/19

पश्चात पेश हुये वकील अभियुक्त उपस्थित, प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC पर निर्णय हेतु पत्रावली का अवलोकन किया यह दावा वादीगण की ओर से स्वत्व घोषणा, कब्जा एवं बटवारे के अनुतोष के लिए इस न्यायालय में विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया है। प्रतिवादीगण को नोटिस सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी सं. 7 अपने अभिभाषक के साथ न्यायालय में उपस्थित आये। उनके द्वारा वाद पत्र का जवाब पेश न कर उससे पूर्व दिनांक 22/01/18 को एक प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC के तहत पेश किया, जिसमें उनके द्वारा यह कथन किया है कि वादीगण ने इस वाद में विवादित आराजी का रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा देना अभिकथित किया है जब कि वर्तमान में विवादित आराजी का रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा है अतः कम हुए रकबे पूर्ति हेतु अनुतोष राजस्थान सरकार से चाहा है तथा इसी कारण प्रतिवादी सं. 11 को अनावश्यक प्रतिवादी बनाया है। इस प्रकार मुख्य अनुतोष राज्य सरकार से चाहा है। सरकार के विरुद्ध नियमानुसार दावा करने से पूर्व नियमानुसार धारा 80 CPC का कानूनी नोटिस देना अनिवार्य था इस प्रकार दावा प्रावधानों के बाहर पेश किया है जो विधि वर्जित है इसलिए दावा वादीगण को वापस किया जावे।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रतिउत्तर पत्र में प्रार्थना पत्र के कथनों से इन्कार किया है तथा कथन किया है कि प्रार्थना पत्र CPC के किस प्रावधान से दिया गया है अंकित नहीं है 07 R11 CPC का लिखित रूप में वादी की Pleading देखी जाती है न कि प्रतिवादी की Pleading। प्रकरण मुकदमा बच्चावर आय की गणना वादी को कुलर कराने का है। प्रतिवादी द्वारा W.S पेश नहीं किया है तथा 07 R11 CPC में वाद वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के समर्थन कथनों को दोहराया तथा तर्क किया कि दावा विधि वर्जित है क्योंकि दावा राज्य सरकार के विरुद्ध है। जिसके लिए दावा से पूर्व धारा 80 CPC का कानूनी नोटिस नहीं दिया गया है। इसलिए दावा चलने योग्य

नहीं है कोई लोकहित है दावा में कि [illegible] रिलीफ चाहते हैं तथा किससे नहीं यह स्पष्ट नहीं है। किससे Mandamus प्रकट नहीं होता है। इस दावा खारिज किया जावे। अपने कथन के समर्थन में AIR-1985 पृष्ठ 32, RRT-2006 पृष्ठ 458 की कानूनी नजीरें पेश की है।

वहस विद्वान अभिभाषक पक्षी/प्रार्थी ने अपनी वहस में अपने जवाब पत्र के कथनों को दोहराया तथा तर्क किया कि प्र.07 R11CPC में कोई केवल Plaint देखेगा। दावा सरकार के विरुद्ध स्वत्व घोषणा का नहीं है। 07 R11 CPC में दावा वापस का कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थना पत्र सही तथ्यों पर आधारित नहीं है। अतः खारिज किया जावे। अपने कथन के समर्थन में DHJ-2017 पृष्ठ 112, RBJ-2015 पृष्ठ 325, RRT 2010 पृष्ठ 720, DHJ 2015, RBJ पृष्ठ 189 की कानूनी नजीरें पेश की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वहस विद्वान अभिभाषकगण पर मनन किया, पत्रावली में प्रस्तुत दावे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा यह दावा विवादित आराजी का रकबा जो कि वर्तमान में 7 बीघा 19 बिस्वा है उसे 9 बीघा 06 बिस्वा घोषित करने के लिए स्वत्व घोषणा के अनुतोष के साथ यह दावा पेश किया है। दावा में यह स्पष्ट नहीं है कि वह यह रकबा किससे उसे प्राप्त होगा, अन्यथा किसके कोटे से रकबा कम होकर उसे प्राप्त होगा। इससे, यह जाहिर होता है कि दावा राज्य सरकार के विरुद्ध ही है क्योंकि बन्दोबस्त की गलती बताकर रकबा बढ़ाने की बात कही है वह राज्य सरकार के विरुद्ध है तथा इस बाबत तहसीलदार रामपाल को मुख्य असल प्रतिवादी बनाया है। राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी दावा करने से पूर्व धारा 80 CPC का कानूनी नोटिस देना होता है जो नहीं दिया गया न ही आवश्यक प्रकृति का मामला होने के कारण 80(2) का प्रार्थना पत्र ही पेश किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा दावा करने में विधि के प्रावधानों का पालन नहीं किया है इसलिए अतः विधि वर्जित है एवं चलने योग्य नहीं है।

अतः आदेश हुआ कि दावा बाबत विधि वर्जित होने कारण खारिज किया जाता है पत्रावली कमल कुमार बनाम [illegible] दाखिल दफ्तर हो। क्रम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर)